

न्यायालय-सिविल जज(जू.डि.) कोंच, जिला जालौन।

मूलवाद संख्या-67/2017

छत्रपाल सिंह

बनाम

बलराम।

दिनांक: 22.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 16 क-1 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. पर बल दिया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 16 क-1 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी-

प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 16 क-1 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. मय शपथपत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में लिपिकीय भूल से वादपत्र में कुछ आवश्यक तथ्य लिखने से रह गये हैं। जिनका वादपत्र में लिखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन से वादपत्र की मूल प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित संशोधन- वादपत्र की धारा 6(ब) के अंत में "वादी द्वारा प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। वादी आज भी वादग्रस्त भूमि पर वदस्तूर काबिज चला आ रहा है। " एवं धारा 6(स) के अंत में "वादग्रस्त भूमि नंबर 464 रकवा 4.6580 हे. में 0.3240 हे. काफी मूल्यवान होने के कारण प्रतिवादी की नियत में खराबी आ गयी और गवाहानों के साथ षडयंत्र फर्जी बैनामा तहरीर करा लिया है। " एवं धारा 6(द) के अंत में "तथाकथित लिखापढी वादी को बिना सुनाये, समझाये, बेईमानी के आशय से प्रतिवादी द्वारा वादी को धोखा देकर मुहायदा वै के स्थान पर शर्तिया बैनामा तहरीर कराया है। " वादपत्र की धारा 7 की पहली लाईन में वादग्रस्त आराजी के बाद "नंबर 464 र रकवा 4.6580 हे. में 0.3240 स्थित मौजा मवई एट परगना कोंच, जिला जालौन" जोड़े जाने की याचना की गई है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति 18 ग-2 मय शपथपत्र को प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि संशोधन प्रा०पत्र वादी कानूनन संधार्य नहीं है। संशोधन प्रा०पत्र में जिस तथाकथित वाक्यांश व शब्दांशों को जोड़ा जा रहा है वह वादपत्र की धारा 1 में व धारा 6 में पहले से ही अंकित है। बैनामा तहरीरी दिनांक 21.04.2015 में वादी ने स्वयं ही पेज नंबर 4 में लिखा कि कब्जा दखल मालकान आज से खरीददार को दे दिया है। ऐसी स्थिति में वादी कब्जा दखल की मांग प्रतिवादी से कर रहा है। जिससे कि वाद की प्रकृति स्वरूप बदल रहा है। वादपत्र के पैरा 3 में वादी ने स्वयं ही कथन किया कि अनपढ देहाती होने का नाजायज फायदा उठाकर मुहायदा वै के स्थान पर तथाकथित बैनामा करा लिया। जबकि सही बात धारा 6(द) के अंत में दर्ज कराना चाहता है। धारा 7 में गाटा संख्या रकवा व विक्रीत भूमि का विवरण वादपत्र की धारा 1 व 2 में अंकित है। संशोधित प्रा०पत्र मैलाफाइड है एवं मुकदमें को

विलंबित करने के उद्देश्य से दिया गया है एवं वाद का नेचर फॉर शूट चेंज हो रहा है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रा०पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त मुकदमा के वादपत्र में टंकण एवं लिपिकीय त्रुटिवश कुछ इबारत टाइप होने से छूट गयी है। जिसका वादपत्र में लिखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी/वादी द्वारा चाहा गया उक्त संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती न ही वाद का कारण परिवर्तित होता है और न ही पक्षकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। न्याय की मंशा है कि वाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर जहां तक संभव हो उभयपक्षों को सुनने के पश्चात किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थी/वादी का प्रा०पत्र 16 क-1 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 16 क-1 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/वादी वांछित संशोधन नियमानुसार अंदर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते जबावदावा/तनकीह दिनांक 15.04.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
कोंच जिला जालौन।

"This is uncertified copy for informational purpose ,
For authentic copy, please refer to the certified copy only."

Hari Mohan Yadav

(Steno)